वर्ष 4, संख्या 93

रु. 1/-

राष्ट्र महिला

मई 2007

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

केन्द्र दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने पर लगी सात-वर्ष की सीमा को समाप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। इसका अर्थ वास्तव में यह होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने की को समय-सीमा नहीं रहेगी और ऐसे मामले जीवन में किसी समय दर्ज किये जा सकेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज करने पर लगी सात वर्ष की पाबन्दी को खत्म करने के लिए इसमें संशोधन किया जाये क्योंकि 25 से 30 वर्षो से विवाहित महिलाओं के दहेज उत्पीडन के भी अनेक मामले आयोग के सामने आये हैं।

निस्संदेह दहेज प्रथा और दहेज मृत्यु की घटनाएं भारतीय समाज पर एक अत्यन्त धृणित कलंक हैं। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (2005 के आंकड़ो) के अनुसार भारत में भारतीय दण्ड संहिता के तहत 6786 दहेज मृत्यु हुई और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत 3204 दहेज उत्पीडन की घटनाएं हुई। 38 प्रतिशत दहेज मृत्यु और उत्पीड़न की घटनाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में हुई।

इस सयम दहेज प्रतिषेध अधिनियम तभी लागू होता है जब एक विवाहित महिला की मृत्यु उसके विवाह के प्रथम सात वर्षों में संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। इस अधिनियम के तहत अपराधी-सामान्यतया पति और कभी-कभी ससुराल को स्वत: को निर्दोष सिद्ध करना होता

चर्चा में — दहेज विरोधी प्रावधान

है। अभियोग पक्ष के लिए उन्हें दोषी सिद्ध करना जरुरी नहीं है। भारतीय खण्ड संहिता की धारा 498 (क) के तहत अपराधियों को वैवाहिक क्रूरता समझे जाने वाले अपराध के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है और उनपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह अपराध पीडित महिला या उसके रिश्तेदारों द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर एक गैर-जमानती, गैर-प्रशम्य और संज्ञेय अपराध है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि पीडित महिला अथवा उसके परिवार को स्त्रीधन की मांग करने के विद्यमान प्रावधान के अतिरिक्त विवाह के समय प्राप्त उपहारों का दावा करने का अधिकार होना चाहिए। विवाह में मिले उपहारों की एक सूची तैयार की जायेगी और उसकी जांच सेवा संरक्षण अधिकारियों द्वारा की जायेगी जो प्रस्ताव के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन में दहेज देने के लिए वधु के मां-बाप को जिम्मेदार बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि इस प्रथा को रोका जा सके।

दूसरी ओर, मां-बाप को दिये गये दहेज की राशि का दावा करते समय आय का प्रमाण देना होगा जैसे आय कर विवरणी। इससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498(क) के तहत कुछ कपटपूर्ण दावों को रोका जा सकेगा।

इन प्रस्तावों के अनुसार सेवा अधिकारियों और संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया जा रहा है जैसे कि घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम के तहत प्रावधान है। उनकी नियुक्ति करके सरकार पीड़ितों को कानूनी और वित्तीय सहायता देकर उनको सुरक्षा प्रदान करने का इरादा रखती है। संरक्षण अधिकारी न्यायालय में पीड़ितों के लिए मामलों की पैरवी करेंगे।

निस्संदेह यह हर्ष की बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित मुख्य संशोधनों को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें शीघ्र अन्य संशोधनों के साथ विधि मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा।

आयोगों को दी गई दिवानी न्यायालय की शक्तियों पर कार्यशाला

राष्ट्रीय महिला आयोग तथा तमिलनाडू राज्य महिला आयोग द्वारा चेन्नई में ''आयोगों को दी गई दीवानी न्यायालय की शक्तियों पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि यद्यपि आयोगों को दीवानी न्यायालय की शक्तिया दी गई हैं, अन्य राज्यों से ग्वाहों को समन करते समय समन जारी करने, ग्वाहों के बयान लेने या प्रक्रियाओं के मामले में अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। महिलाओं के संरक्षण के लिए कई कानून होने के बावजूद उनके प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होनें कहा कि आयोग अधिक 'मुख्य' और वित्तीय शक्तियां पाने से महिलाओं के लिए अधिक कार्य कर सकेंगे।

डॉ० व्यास ने तमिलनाडू को महिलाओं के विकास के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए बधाई दी और कहा कि अन्य राज्यों को इन आदर्शों विशेष रूप से महिला-पुरूष अनुपात में असमानताओं को कम करने, वंचित समूहों को समान विरासत और विवाह अधिकार और गर्भकाल सहायता प्रदान करने तथा स्कूल जाने वाले बच्चों को साईकल आदि देने के प्रयासों का अनुकरण करना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों, दक्षिणी राज्य आयोगों की अध्यक्षाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों ने परामर्श में भाग लिया।

तत्पश्चात् राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा तथा अन्य सदस्यों ने तमिलनाडू के मुख्य सचिव के साथ एक बैठक में भाग लिया जिसमें तमिलनाडू में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति, घरेलू हिन्सा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वचन, पी.सी. और पी.एन.डी.टी. अधिनियम के क्रियान्वयन, विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन, जेंडर बजट और सुनामी पीड़ितों के पुनर्वास सम्बन्धी मुद्दों पर विचार किया गया।

महिला बचत दिवस

अध्यक्षा डा० गिरिजा व्यास ने नई दिल्ली में महिला बचत दिवस मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर अपने भाषण में डा० व्यास ने परिवार के सदस्यों तथा स्व-नियोजित लोगों में बचत की आदत डालने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला प्रधान एजेन्ट छोटी बचत करने वालों तथा महिलाओं से 5-वर्षीय डाकखाना आवर्ती जमा योजना में निवेश जुटाने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं जिससे विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकेंगे।

सुश्री एशटन का आयोग आगमन

ब्रिटेश के एक शिष्टमंडल ने जिसमें सुश्री एशटन, उप मंत्री, यू०के०, श्रीमती एन्ने मार्क्स, सचिव, बी०एच०सी०, शामिल थीं, आयोग का दौरा गया और बलात विवाह, अनिवासी भारतीयों के विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि जैसे दोनों देशों के सामान्य मुद्दों पर आयोग की अध्यक्षा के साथ विचार-विमर्श किया।

यह भारत है

एक मुसलमान पुरुष ने एक टेलीग्राम में तीन बार 'तलाक' शब्द लिखकर उसे अपनी पत्नी को भेजकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। उसने टेलीग्राम अपनी पत्नी को भेजा जो सीलमपुर, दिल्ली में अपने मां - बाप के घर रह रही थी जिसमें उसने कहा कि उसने गवाहों की मौजूदगी में एक अदालत में तलाक दिया। 124-शब्दों वाले टेलीग्राम में यह भी कहा गया कि पत्नी मेहर राशि, दहेज की वस्तुएं और इद्दत राशि उससे वसूल कर सकती है।

डा० गिरिजा व्यास समारोह को सम्बोधित करती हुए (ऊपर) और श्रोतागण (नीचे)

डायन प्रथा पर राष्ट्रीय सम्मेलन

डायन घोषित महिलाओं की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए और क्षमता निर्माण में मद्द करने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदयपुर (राजस्थान) में डायन प्रथा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में विद्वानों, सक्रिय कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों के नेताओं और केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भाग लिया। डायन घोषित कुछ महिलाओं ने अपनी दयनीय दशा तथा गांव के लोगों तथा समाज द्वारा उनके साथ किये जाने वाले दुर्व्यहार के बारे में बताया।

विवाह शगुन योजना

हरियाणा सरकार ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना के तहत करीब 21 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है जिससे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 8,176 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

इस योजना के तहत् गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों, अधिसूचित कबीलों, टपरीवस जातियों के लोगों को 15,000 रुपये और गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के अन्य वर्गों को 5,100 रुपये अपनी बेटियों के विवाह के अवसर पर, जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो, अनुदान के रूप में दिये जाते हैं।

यह अनुदान एक परिवार में केवल दो बेटियों के विवाह के लिए दिया जाता है। कोई विधवा या तलाकशुदा महिला भी, जो पुन: विवाह करना चाहती है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। आवेदनकर्ता हरियाणा राज्य का ही निवासी होना चाहिए।

महिला-न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम

देश में उच्चतम न्यायालय में केवल 6.5 प्रतिशत और उच्च न्यायालयों में 21 प्रतिशत महिला न्यायाधीश हैं।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 597 है जिनमें से केवल 39 महिलायें ही देश की न्याय प्रणाली में इन पदों पर पहुंची हैं।

उच्चतम न्यायालय में, जिसमें 23 न्यायाधीश हैं, कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है। 6 उच्च न्यायालयों में भी कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।

छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, सिक्किम और उत्तरांचल के उच्च न्यायालयों में, जिनमें न्यायाधीशों की संख्या कुल मिलाकर 45 है, एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है।

दिल्ली और मुम्बई उच्च न्यायालयों में, जिनमें न्यायाधीशों की संख्या क्रमश: 32 और 56 है, महिला न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है अर्थात् प्रत्येक में महिला न्यायाधीशों की संख्या पांच है और इनके पश्चात् इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, मद्रास और पटना आते हैं जिनमें से प्रत्येक में महिला न्यायाधीशों की सख्या चार है।

गुजरात उच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीशों में से केवल तीन महिला न्यायाधीश हैं।

गर्भवती महिलाओं के लिए रेल कोटा

अब गर्भवती महिलाओं, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और वरिष्ट नागरिकों के लिए भारतीय रेल में यात्रा करना आसान हो जायेगा। इन वर्गों में आने वाले यात्रियों को ए०सी०3, ए०सी०2 और स्लीपर श्रेणी की गाड़ियों में अकेले यात्रा करते समय प्रत्येक डिब्बे में दो निचली बर्थ का कोटा दिया जायेगा।

यह निर्णय प्रायोगिक आधार पर एक अगस्त से छ: महिने के लिए लागू किया जायेगा।

किन्तु महिलाओं को टिकट लेते समय पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से प्रमाणित एक गर्भावस्था प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने चेन्नई में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पर क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लिया । बाद में उन्होंने कोलकाता में पश्चिम बंगाल महिला आयोग का दौरा किया जहां उनकी उपस्थिति में कोलकाता में आयोजित देह व्यापार पर क्षेत्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया। बाद में वह जयन्ती बाला दास के मामले की पैरवी करने के लिए ऑल बंगाल विमेन यूनियन गई। उन्होंने आल बंगाल विमेन यूनियन को बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों से रेणु ठाकुर के पति का, जिसे कुछ वर्ष पूर्व हावड़ा स्टेशन पर जी.आर.पी. द्वारा छुड़ा लिया गया था, पता लगा लिया गया है।

  श्रीमती भट्टाचार्य और सदस्या नीवा कंवर पुलिस द्वारा 14-3-2007 को महिलाओं पर किये गये अत्याचार के मामलों की पूछताछ करने के लिए नंदीग्राम भी गई। उन्होंने श्रुति गुप्ता के मामले की भी सुनवाई की जिसने पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने का आरोप लगाते हुए धारा498क के तहत अपने पति और ससुराल के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज की थी।

  सदस्या ने नारी निकेतन 'अपना आप' का भी निरीक्षण किया जहां विहार में कटिहार से छुड़ाई गई अव्यस्क लड़की नैना को रखा गया था। तत्पश्चात उन्होंने महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ट में महिलाओं के अधिकारों पर बोलने के लिए गुरूदास कालेज के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और जयकृष्णपुर ग्रामीण कल्याण समिति द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर का भी उद्घाटन किया जिसमें अधिकतर कृर्षि कार्य और घरेलू मजदूरी से जुड़ी मुसलमान और गरीब महिलाओं ने भाग लिया।

  श्रीमती भट्टाचार्य एक महिला सिपाही की हत्या और बाद में कट्टक स्थित प्रथम खोज न्यायालय द्वारा दोषी की रिहाई की छानवीन करने के लिए भूवनेश्वर गई। वह गृहसचिव और महानिरीक्षक, केन्द्रीय जांच ब्यूरों से मिली और दोषी की रिहाई से जनता में उत्पन्न रोष के बारे में उनको बताया। गृह सचिव का कहना था कि उन्होंने इस निरयि के विरूद्ध अपील कर दी है और आगे आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कोलकाता वापस आने पर वह पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रा-सोनोग्राफी करने वाले क्लिनिकों के लाईसेंसधारियों के साथ एक बैठक में भाग लेने के लिए गई।

  उन्होंने कोलकाता में बैंक आफ इंडिया के महिला प्रकोष्ठ की बैठक में भी भाग लिया और कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर विचार-विर्मश किया। तत्पश्चात् सदस्या ने दो शिविरों का निरीक्षण किया जहां नंदीग्राम खण्ड में हिंसा के परिणामस्वरूप अपने गांवों से निष्कासित लोगों को रखा गया था।

- सदस्या नीवा कंवर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्याय तक साम्यिक पहुंच के लिए एक नीति के विकास पर गोवाहाटी में गोवाहाटी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सहयोग से राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया। इस अवसर पर अपने भाषण में श्रीमती कंवर ने महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण पर संविधिक प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया।

  वह 'नाविक' नामक गौर-सरकारी संगठन द्वारा वाराणसी में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहीं। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्रीमती कंवर ने कहा कि यद्यपि पंचायतों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है फिर भी राष्ट्रीय राजनीति में उनकी उपस्थिति काफी कम है। उनका कहना था कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनमें आत्म-निर्भरता की भावना विकसित की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्णय

- **11वीं योजना को महिला-संवेदी बनाने के लिए नयी सभी-महिला समितति :** केन्द्र ने 21 आर्थ-शास्त्रियों की एक सभी-महिला समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो 11वीं पंच-वर्षीय योजना (2007-12) में क्षेत्रीय रिपोर्टों की पुनरीक्षा करेगी और स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देगी) डा० सईदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग इस समिति की अध्यक्ष होगी और अन्य सदस्य उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा शोध संगठनों से लिये जायेंगे।

  यह समिति योजना के लिए कार्य समूहों तथा संचालन समितियों की सभी क्षेत्रीय रिपोर्टों की उनकी महिला विषयक सामग्री के संदर्भ में पुनरीक्षा करने के आलावा उपायों का सुझाव देकर महिलाओं के कल्याण के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रबन्ध तथा पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।

- **विवाह-पूर्व एच.आई.वी. जांच अनिवार्य :** कर्नाटक विवाह पूर्व एच.आई.वी. की जांच अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने का इरादा रखता है। सरकार चाहती है कि यह नियम उस स्थिति में भी लागू होना चाहिए जब वर और वधु भिन्न राज्यों के हों।

- **अब विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य :** देह व्यापार के मामले सामने आने के कारण हैदराबाद क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय ने निर्णय लिया है कि उन दम्पत्तियों के लिए विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो पारपत्र के लिए आवेदन देते हैं। शपथ पत्र तभी स्वीकार किये जायेंगे जब विवाह हुए काफी समय हो गया होगा।

- **कर्नाटक में रात्रि पारी पर लगा प्रतिबन्ध खत्म:** रात्रि-पारी पर लगे प्रतिबन्ध पर महिला संगठनों तथा कर्नाटक राज्य महिला आयोग के विरोध को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, विधि मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में रात्रि-पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करेगा।

  महिला संगठनों ने इस प्रतिबन्ध को प्रतिगामी, असंवैधानिक और अपमानजनक बताते हुए इसका पुरज़ोर विरोध किया था

कन्या भ्रूणहत्या को रोकने के लिए उपाय

हरियाणा में घटते महिला अनुपात को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए राज्य के प्रत्येक सांसद को 5 लाख रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है। यह अनुदान कन्या भ्रूणहत्या को राकने के उद्देश्य से जन्मपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994 के अधीन बनाये गये नियमों को लागू करने के लिए दिया जायेगा।

यह अनुदान सांसद और स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से जिला प्रशासन द्वारा खर्च किया जायेगा ताकि धनराशि का सही प्रयोग हो। यह धनराशि बालिका के महत्व और कन्या भ्रूणहत्या के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर खर्च की जायेगी।

2001 की जनगणना के अनुसार, देश में सबसे कम महिला अनुपात हरियाणा में था। राज्य में 1000 पुरुषों के मुकावले महिलाओं की सख्या 884 थी जिससे संतुलन बिगड़ रहा था।

राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के घटते अनुपात के बारे में जागरूकता पैदा करने के अलावा उन व्यवसाईयों के परिसरों पर छापा मारने के लिए भी इस धनराशि का प्रयोग किया जायेगा जो लिंग निर्धारण परीक्षण करते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटक आयोजित करने जैसे पहलू भी शामिल होंगे।

शाबाश आयोग

पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के तहत पहले मामले में श्रीमती अपर्णा भारती अपने पति के विरूद्ध अलीपुर न्यायालय से एक अनुकूल निरात्रि लेने में सफल रहीं जिसमें न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले बेहाला क्षेत्र में उनके वैवाहिक मकान से पति को उसे निकालने से रोकने का आदेश दिया। श्रीमती अपर्णा भारती को, जिसका पति, एक भूतपूर्व सैनिक, जो अब एक प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी में काम करता है, उसका निरन्तर शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न करता था, अपने मोहल्ले के महिला संगठन का समर्थन और संरक्षण प्राप्त था।

इस महिला संगठन ने ही राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया। सदस्या ने तुरन्त पश्चिम बंगाल महिला आयोग की सदस्या श्रीमती भारती मुतसुद्दी तथा हयूमन राइट्स ला नेटवर्क, पश्चिम बंगाल के साथ विचार-विमर्श किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पति कोलकाता स्थित मकान को बेचने तथा अपनी पत्नी एवं उसके बेटे को वापस अपने जन्म के गांव में बलात ले जाने की धमकी देकर उत्पीड़न के विरूद्ध अपर्णा के विरोध को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, उसके विरूद्ध घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज करने का निर्णय लिया गया। इस अनुकूल आदेश से अपर्णा अपने वैवाहिक घर पर अपने अधिकार की मांग कर सकेगी।

30 वर्ष से कम की नौकरानियां प्रवास नहीं कर सकती

असुरक्षित भारतीय महिलाओं के यौन उत्पीड़न और अवैध व्यापार की संभावना को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने घरेलू नौकर के रूप में 30 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के उन देशों में उत्प्रवास पर रोक लगा दी है जिनको उत्प्रवास निकासी (ई.सी.आर) की जरूरत होती है।

जिन देशों के लिए उत्प्रवास निकासी की ज़रूरत होती है अथवा जो देश निषेधी सूची में आते हैं उनमें खाड़ी (सउदी अरेबिया, बहराइन, यू.ए.ई., कुवैत, कतार, ओमान) मलेशिया, सीरिया, जोर्डन, अफगानिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इराक, बरूनी, नाईजेरिया, सुडान और लिब्या आते हैं।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित

- सम्पादक : गौरी सेन